न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2015

बउनवान

भूरमल आयु 42 वर्ष दत्तक पुत्र श्री प्रभुलाल जाति धाकड निवासी काचरी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. सत्यनारायण आयु 45 वर्ष पुत्र श्री पाना चन्द जाति धाकड निवासी काचरी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. नर्बदा बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री पाना चन्द पत्नि दुर्गालाल जाति धाकड निवासी काचरी हाल निवासी मूडला (बरला) तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
3. सुमित्रा बाई आयु 38 वर्ष पुत्री श्री पानाचन्द पत्नि नेमीचन्द जाति धाकड निवासी काचरी तह0 अटरू हाल निवासी मडोला तह0 बारां जिला बारां (राज0)
4. भगवती बाई आयु 47 वर्ष पुत्री पानाचन्द पत्नि श्री देवकरण जाति धाकड निवासी काचरी हाल निवासी बडौरा तह0 अटरू जिला बारां
5. कलावती बाई आयु 40 वर्ष पुत्री पानाचन्द पत्नि श्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी काचरी तह0 अटरू जिला बारां हाल निवासी सूमर तह0 खानपुर जिला झालावाड
6. पन्नीबाई आयु 70 वर्ष बेवा पानाचन्द जाति धाकड निवासी काचरी तह0 अटरू जिला बारां
7. माणकचन्द आयु 75 वर्ष पुत्र श्री रामरतन जाति धाकड निवासी काचरी तह0 अटरू जिला बारां
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 233 दि. 07.12.2010 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– 1–श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2–श्री सत्यनारायण मीणा अभिभाषक **(रेस्पो. 1 ता 6)**
3–श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक **(रेस्पो. 7)**

निर्णय दिनांक 12.07.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 233 दिनांक 07.12.2010 वाके ग्राम काचरी तह. अटरू से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 23.02.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू से मूल इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण में विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने आदेश जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके ग्राम काचरी तहसील अटरू में जमाबंदिया सं0 2065–2068 खाता सं0 नई 51 से खसरा नं0 116, 205, 210 कुल 03 किता रकबा 0.77 हेक्टर स्थित है तथा खाता नं0 नई 52 से खसरा नं0 126/382, 129/381, 130 कुल तीन किता रकबा 0.07 हेक्टर स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या नयी 53 से खसरा नं0 55, 59, 60, 61, 119, 133, 134, 308 कुल 8 किता रकबा 8.12 हेक्टर स्थित है तथा अपीलान्ट के दत्तक पिता प्रभुलाल पुत्र रामरतन का नाम तीनों खातो में संयुक्त खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है।

प्रभुलाल पुत्र रतनलाल ने अपने जीवन काल में अपीलांट को अपना दत्तक पुत्र लिया था तब से अपीलांट अपने दत्तक पिता प्रभुलाल के पास ही रह रहा था तथा प्रभुलाल ने ही उसकी पढाई लिखाई करवायी तथा वयस्क होने पर विवाह किया तथा प्रभुलाल के जीवन पर्यन्त उनके जीवन काल में सेवा सुश्रुषा की व उनकी कृषि भूमियां की काश्त व्यवस्था व अन्य संपत्तियॉ की देखरेख की, साथ ही प्रभूलाल पुत्र रामरतन ने अपने जीवन काल में एक गोद नामा अपीलांट के पक्ष में आलेखित करवाकर उप पंजीयक अटरू से दिनांक 27.05.2000 को प्रमाणित करवाया। इस प्रकार अपीलांट मृतक प्रभूलाल जी के मरणोपंरान्त सभी प्रकार के क्रिया क्रम भी अपीलांट द्वारा ही बहैसियत गोद पुत्र सम्पन्न करवाये गये थे। पगडी भी अपीलान्ट के ही बांधी गयी थी। इस प्रकार अपीलांट मृतक प्रभुलाल का दत्तक पुत्र/गोद पुत्र है तथा मृतक प्रभूलाल द्वारा छोडी गयी समस्त चल अचल संपत्ति का एक मात्र मालिक व स्वामी है।

सहखातेदार प्रभूलाल पुत्र रामरतन का स्वर्गवास के उपरान्त इंतकाल नं0 233 दिनांक 07.12.2010 खोला गया। जिसमें प्रभुलाल के वारिसान के रूप में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 7 व अपीलांट के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलांट मृतक प्रभूलाल का गोद पुत्र/दत्तक पुत्र है तथा मृतक प्रभूलाल द्वारा छोडी गयी समस्त चल अचल संपत्ति का एक मात्र मालिक व स्वामी है। मृतक प्रभूलाल पुत्र रामरतन के संयुक्त खातेदारी की आराजी ग्राम आटोन तह0 अटरू में स्थित है। प्रभूलाल के मरने के बाद उक्त ग्राम आटोन की आराजी इन्तकाल नं0 1060 दिनांक 20.09.2012 से गोदनामा के आधार पर गोदपुत्र/दत्तक पुत्र भूरमल अपीलांट के नाम से दर्ज हुयी है। इस प्रकार मृतक प्रभूलाल के हिस्से एवं संयुक्त खातेदारी की वाके ग्राम काचरी तह0 अटरू की तीनों खातो की आराजी भी अपीलांट के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, जिसे अपीलांट भूरमल अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, साथ ही अपीलांट ने अपने पक्ष समर्थन में अपने दत्तक पिता के नाम से जारी पहचान पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा खोला गया इंतकाल नम्बर 233 दिनांक 07.12.2010 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक प्रभूलाल का फोती इन्तकाल उसके गोद पुत्र/दत्तक पुत्र अपीलांट के नाम खोला जाने का आदेश प्रदान करे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 6 के अभिभाषक द्वारा जवाब पेश कर कहा कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में श्रीमान द्वारा निर्णय फरमाने में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 6 को कोई आपत्ति नही है।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 7 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अपीलांट के दादा रामरतन के तीन पुत्र, प्रभूलाल, माणकचन्द एवं पानाचन्द थे। प्रभूलाल निःसन्तान था, जो 2009 में फौत हो गया। पानाचन्द 2004 में फौत हो गया। पानाचन्द के दो पुत्र, तीन पुत्रियॉ एवं पत्नि जीवित है। माणकचन्द जीवित है, जो रेस्पोडेन्ट क्रम 7 है। रामरतन व हीरालाल ने वाके माल आटोन की आराजी कुल 38 बीघा दोनो भाईयों ने शामलाती खरीदी थी। उक्त आराजी में प्रभूलाल निःसन्तान होने से प्रभूलाल के खाते में अधिक जमीन करवा दी थी। सम्वत् 2046 में 31 वर्ष पूर्व तीनों भाइयों ने आपस में मिल बैठकर हिस्से कर लिए थे। माणकचन्द को आटोन के माल में 6 बीघा, काचरी के माल में 8 बीघा एवं काचरा के माल में 6 बीघा आराजी दी थी। बाकी आराजी प्रभुलाल एवं पानाचन्द की रही थी। जिसकी लिखावट माधोलाल बोहरा ने लिखी, जिस पर तीनो भाईयों व गवाहन जमना शंकर, गोरधन मीणा के हस्ताक्षर है। उक्त लिखावट में भूरमल को गोद लेने का वर्णन नही है।

पानाचन्द का फौती नामान्तरण विधिक वारिसान के नाम खुला जिसमें भूरमल अपीलांट, मृतक के पुत्र के रूप में संयुक्त खातेदार है। प्रभूलाल की मृत्यु उपरान्त तीनों भाईयों द्वारा सम्वत् 2046 में 31 वर्ष पूर्व किये गये बटवारे से मृतक प्रभूलाल के फौती नामान्तकरण संख्या 233 से उसके खाते की आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 7 माणकचन्द व मृतक पानाचन्द के वारिसान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई। जमाबन्दी में माणकचन्द व पानाचन्द के वारिसान का हिस्सा निश्चित नही होने से शुद्धि पत्र क्रमांक 2 माणकचन्द पुत्र रतनलाल 1/2 व अपीलांट और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 6 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाते हुआ। शुद्धि पत्र में भी भूरमल ने पानाचन्द के पुत्र के रूप में पक्षकार बनकर कार्यवाही की है।

आटोन की आराजी दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 1060 दिनांक 20.09.2012 से भूरमल अपीलांट के नाम दर्ज हुई है। दत्तक नामा दिनांक 27.05.2000 अवैध एवं शून्य दस्तावेज है। क्योकिं दत्तम नामा में प्राकृतिक माता दन्नीबाई की स्वीकृती नही है, ओर न ही दत्तक नामा के पक्षकार है। दत्तक गृहिता की माता थी। स्वीकृती होने बाबत् दत्तक नामा के उल्लेख नही है। दत्तक समारोह, दत्तक हवन एवं दत्तक की रस्मों का हवाला भी नही है। दत्तक लेना व देना लिखा हुआ नही है। उक्त दत्तक नामा दत्तक ग्रहण अधिनियम के आशापथ प्रावधानों की पालना एव अपेक्षाओं को पूर्ण नही करने से दस्तावेज मान्य नही है। अवैध गोद पत्र 27.05.2000 में 08.12.1984 को गोद लेना वर्णित किया है। दिनांक 08.12.1984 के दिन कोई सावा नही था। प्राकृतिक माता एवं दत्तक गृहिता माता द्वारा गोद देना एवं लेना वर्णित नही है।

सन् 1984 में गोद जाने के बाद भी अपीलांट भूरमल के पिता का नाम, स्कूल रिकार्ड, निर्वाचन नामावली 2004, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों एवं शुद्धि पत्र कार्यवाही में भूरमल के पिता का नाम पानाचन्द दर्ज है। अपीलांट के आचरण एवं व्यवहार से भी वह मृतक प्रभूलाल का गोद पुत्र साबित नही होता। पगडी बंध जाने से कोई भी वारिस नही हो जाता है। अपीलांट ने प्रभूलाल की मृत्यु उपरान्त मृतक प्रभूलाल द्वारा किये गये विभाजन व हिस्सों में माणकचन्द रेस्पोडेन्ट क्रम 7 को प्राप्त हुई। उक्त आराजी को हडपने के लिए अपीलांट भूरमल ने अपने भाई बहिनों से मिली भगत कर 31 वर्ष पूर्व में मृतक प्रभूलाल द्वारा किये गये विभाजन को बेईमानी पूर्वक माणकचन्द के हक हिस्से की आराजी को हडपने के लिए उक्त अपील पेश की है जो निरस्तनीय है।

नामान्तरण सं0 233 मे मृतक प्रभूलाल के प्राकृतिक वारिसान के नाम प्रमाणित हुये है। जिसे दत्तक विलेख के आधार पर चुनौती देने का अपीलांट को कोई अधिकार नही है। दत्तक एवं वसीयत का प्रश्न नामान्तकरण कार्यवाही में निर्णित नही किया जा सकता है। कोई व्यक्ति दत्तक विलेख से अपने अधिकारों की मांग करता है तो उसे नियमित वाद से अपने अधिकार स्थापित करवाने चाहिए। गोदपत्र दिनांक 27.05.2000 में लिखा हुआ है कि आज से दत्तक गृहित की सम्पति में दत्तक पुत्र का अधिकार हो गया, जबकि प्रभूलाल ने 1989 में हक हिस्से विभाजन कर अपने भाईयों के हक से त्याग की गयी आराजी को सन 2000 में निष्पादित दत्तक विलेख के आधार पर चुनौती देने का अधिकार नही है। साथ ही रेस्पोडेन्ट क्रम 7 के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में RLW 2013(2), RRD 2014, RBJ 2014, RLW 2012(1), RRD 1998 प्रस्तुत की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 233 दिनांक 07.12.2010 वाके ग्राम काचरी तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 एवं 11 के अनुसार प्रभूलाल ने भूरमल को गोद लेने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया नही अपनाया जाना प्रतीत होता है। अपीलांट भूरमल रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। नामान्तरकरण कार्यवाही में किसी के हित व स्वत्व निहित नहीं किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 233 दिनांक 07.12.2010 वाके ग्राम काचरी यथावत रखा जाता है।

अत निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को हमारे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ